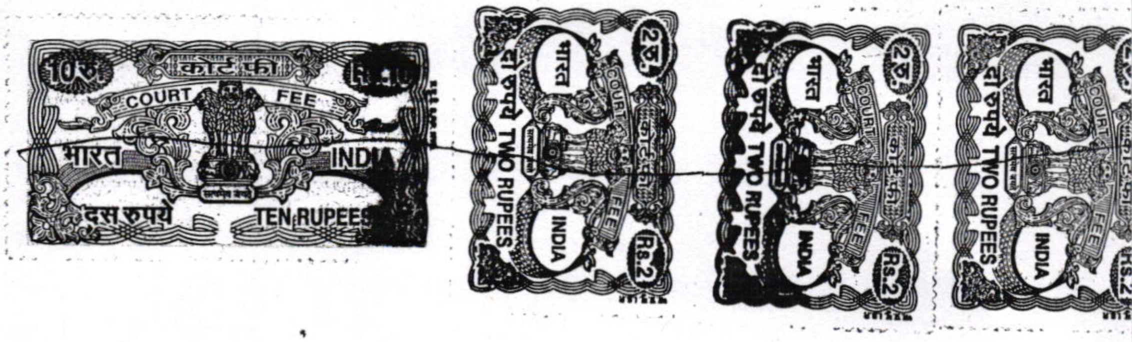

# न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.      /2013 निगरानी

निग. 4507-II-13

1. नरेन्द्र सिंह
2. हरेन्द्र सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह

पुत्रगण लाखन सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम खाड़ोली तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र.
.........आवेदकगण

दिनांक 17-12-13 को श्री लखन सिंह, अभि० द्वारा प्रस्तुत।

बनाम

म.प्र. शासन
............आवेदकगण

17-12-13

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना के प्र.क. 01/स्व.नि./13–14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

**निगरानी के तथ्य** :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि स्थित मौजा खाडोली के भूमि सर्वे क्र. 1454 में से 9 बीघा 10 विस्वा के संबंध में आवेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होने से आवेदकगण के हित में भूमि का व्यवस्थापन किया जाये। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर प्र. क्र. 04/अ–19/04–05 पर पंजीवद्ध कर विधिवत् उद्घोषणा जारी की गई। आपत्तियाँ आमंत्रित की गई। आवेदकगण द्वारा विधिवत् कार्यवाही की गई। पटवारी हल्का से स्थल निरीक्षण कराया जाकर पटवारी रिपोर्ट चाही गई। पटवारी के कथन लिपिवद्ध कराये गये। आवेदकगण स्वयं के कथन कराये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य प्रकरण में ली गई। आवेदकगण के हित में दिनांक 27.09.2005 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश को कलेक्टर महोदय मुरैना द्वारा शिकायत के आधार पर स्वप्रेरणा में लिये जाने की कार्यवाही प्रक. 1/स्व.नि./13–14 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 05.11.2013 से प्रकरण में कार्यवाही संचालित कर दी गई एवं प्रकरण बिना जाच कराये आवेदकगण के हित में किये गये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किये जाने की कार्यवाही कर दी गई है। उक्त आदेश से दुखित हो कर निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अवधि निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

XXIX(a)-BR(H)-11

(274)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-4507-एक/13 **जिला**- मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |